राजस्व वाद संख्याः– 154ए/2021
गोरूराम वगै0 बनाम बृजलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 18-10-2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.–154ए/2021

1. गोरूराम आयु 60 वर्ष
2. लेखराम आयु 58 वर्ष
3. हरिसिंह आयु 56 वर्ष

पुत्रान स्वर्गीय चन्दगीराम जाति जाट निवासीगण बेरला तहसील चिड़ावा हाल तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– वादीगण

बनाम

1. बृजलाल दत्तक पुत्र छैलूराम आयु 70 वर्ष
2. भोलाराम आयु 65 वर्ष पुत्र श्री चन्दगीराम
3. रूपचन्द आयु 55 वर्ष पुत्र स्व0 गोविन्द
4. मायाकौर आयु 40 वर्ष बेवा लोकराम
5. सन्तरा आयु 40 वर्ष बेवा दयानन्द
6. महेन्द्र आयु 24 वर्ष पुत्र दयानन्द
7. सुनील आयु 22 वर्ष पुत्र दयानन्द
8. बिमला आयु 38 वर्ष बेवा रामौतार
9. संजय आयु 13 वर्ष पुत्र रामौतार नाबालिग जरिये माता बिमला बेवा रामौतार
10. सुमेर सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 हीराराम

समस्त जाति जाटान निवासी बेरला तहसील चिड़ावा हाल तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

11. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
12. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

प्रतिदावा के पता फरीकेन

1. सुमेरसिंह पुत्र हीरा उर्फ हीराराम, आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी बेरला, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– प्रतिदावा वादी

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 154ए/2021
गोरूराम वगै0 बनाम बृजलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 18-10-2023

1. लेखराम आयु 78 वर्ष पुत्र स्व. चन्दगीराम
2. हरिसिंह उर्फ हरीराम, आयु 76 वर्ष पुत्र स्व. चन्दगीराम
3. रोशनी आयु 72 वर्ष पत्नी स्व. गोरूराम
4. सतपाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. गोरूराम
   समस्त जाति जाट, निवासी बेरला, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. मु0 कमला आयु 42 वर्ष पुत्र स्व. गोरूराम पत्नी रतन जाति जाट, निवासी बेरला हाल निवासी धनासरी तहसील बाढ़ड़ा जिला दादरी हरियाणा।
6. मु0 रिशालो आयु वर्ष 40 पुत्री स्व. गोरूराम पत्नी हवासिंह जाति जाट, निवासी बेरला हाल निवासी धनासरी तहसील बाढ़ड़ा जिला दादरी हरियाणा।
7. मु0 सुमन आयु 38 वर्ष पुत्री स्व. गोरूराम पत्नी रामपत जाति जाट, निवासी बेरला हाल निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0।
8. मृतक श्रीमती सारली आयु 80 वर्ष पत्नी स्व0 बृजलाल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।(दौराने दावा दैहान्त हो गया)
9. शीशराम आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. सतपाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. मु0 बाला आयु 42 वर्ष पुत्री स्व0 बृजलाल पत्नी बलवन्त जाति जाट निवासी बेरला हाल निवासी उरीका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. जगवीर आयु 28 वर्ष पुत्र स्व0 रामकरण पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. मु0 मन्जू आयु 30 वर्ष पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी सुनील जाति जाट निवासी बेरला हाल निवासी सेही कलां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. मु0 सोनिया आयु 36 वर्ष पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी अनील जाति जाट निवासी बेरला हाल निवासी सेही कलां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
15. मु0 अन्जु आयु 24 वर्ष पुत्री स्व. रामकरण जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
16. श्रीमती समीन आयु 48 वर्ष पत्नी स्व. शीशपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
17. रवि आयु 24 वर्ष पुत्र स्व. शीशपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
18. अंकित आयु 22 वर्ष पुत्र स्व. शीशपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
19. रविन्द्र पुत्र तसबीर जाति जाट निवासी छ[illegible]र तहसील व जिला चरखी दादरी हरियाणा हाल निवासी अनाज मण्डी के पीछे भिवानी हरियाणा।
20. वासू पुत्र रविन्द्र आयु 5 वर्ष माता स्व0 सरीता जाति जाट हाल निवासी अनाज मण्डी के पीछे भिवानी हरियाणा नाबालिक वली कुदरती पिता रविन्द्र पुत्र तसबीर जाति जाट हाल निवासी अनाज मण्डी के पीछे भिवानी हरियाणा।
21. श्रीमती चान्दकोर आयु 73 वर्ष पत्नी स्व0 रूपचन्द पुत्र स्व0 गोविन्द जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
22. सुभाष आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 रूपचन्द पुत्र स्व0 गोविन्द जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
23. नरेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 रूपचन्द पुत्र स्व0 गोविन्द जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
24. सन्दीप आयु 39 वर्ष पुत्र स्व0 रूपचन्द पुत्र स्व0 गोविन्द जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

25. मु0 राजवन्ती आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 रूपचन्द पत्नी अनुप जाति जाट निवासी बेरला हाल निवासी चान्दवास तहसील बाढडा जिला दादरी हरियाणा।
26. श्रीमती मायाकोर आयु 70 वर्ष पत्नी स्व. लोकराम पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
27. महेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 दयाचन्द उर्फ दयाराम पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
28. श्रीमती सन्तरा आयु 65 वर्ष पत्नी स्व0 दयाचन्द उर्फ दयाराम पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
29. सुनील आयु 37 वर्ष पुत्र स्व0 दयाचन्द उर्फ दयाराम पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
30. मु0 मुकेश आयु 43 वर्ष पुत्री स्व0 दयाचन्द उर्फ दयाराम पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी बेरला हाल निवासी बेवड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू राज0।
31. श्रीमती बिमला आयु 60 वर्ष पत्नी स्व0 रामोतार उर्फ रामावतार पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
32. संजय आयु 23 वर्ष पुत्र स्व0 रामोतार उर्फ रामावतार पुत्र स्व0 हीराराम जाति जाट निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
33. मु0 सुनिता आयु 30 वर्ष पुत्री स्व0 रामोतार उर्फ रामावतार पत्नी अमीत जाति जाट निवासी बेरला व हाल निवासी बड छप्पर तहसील बास जिला हिसार हरियाणा।
34. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
35. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
36. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
37. तहसीलदार लैण्ड होल्डर चिड़ावा, तहसील चिड़ावा हाल तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

— प्रतिदावा प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता बंटवारा एवं घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक —

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 की और से श्री सन्दीप मान एड0 ने जवाब दावा मय 20 किता दस्तावेज एवं प्रतिदावा पेश किया जिसकी नकल वादी वकील को दिलवाई गई। दिनांक 01.08.2022 को बार—बार आवाज लगवाये जाने के उपरान्त भी वादीगण उपस्थित नहीं आये, ना ही उनकी और से कोई अतिवक्ता उपस्थित आये अतः दावा वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया और प्रतिदावा का न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। दौराने प्रतिदावा प्रतिवादीया न0 8 श्रीमती सारली का दैहान्त

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

हो गया जिसका कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश होने से नाम के आगे "मृतक" लिखा गया। विधिक प्रतिनिधिगण पहले से फरीक प्रतिदावा है। प्रतिदावा की प्रतिवादी संख्या 8 के हित उसके विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 20 के माने जावेंगे।

प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने प्रतिदावा में निम्नलिखित अनुतोष चाहा है कि–

(क) घोषणा की जावे कि जमीन हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 1.92 है0, हाल ख0न0 135 रकबा 0.23 है0, हाल ख0न0 235 रकबा 0.03 है0, हाल ख0न0 236 रकबा 11.55 है0, हाल ख0न0 243 रकबा 12.14 है0, हाल ख0न0 418 रकबा 6.89 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 32.76 है0 वाके ग्राम बेरला तहत तहसील सूरजगढ़ में प्रतिदावा के वादी का 3/20 हिस्सा

- प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20+1/20=1/10 हिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 का 1/20 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 का 1/120+1/120+1/120+1/120 = 4/120 = 1/30 बहिस्सा ।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 का 1/120 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 18 का 3/480 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 का 1/480 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 का 3/8 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 26 का 3/40 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 का 3/40 बहिस्सा।
- प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 31 लगायत 33 का 3/40 बहिस्सा।
  कोटिनेन्टस(सहआसामी) है। इसी प्रकार रिकार्ड में अमल दरामद करने की तहरीर प्रतिवादी संख्या 37 को भेजी जावें।

(ख) यह कि घोषणा के मुताबिक प्राथमिक डिक्री जारी की जावे और बाद विभाज प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की जावे। लगान व पर्चा खतौनी अलग–अलग जारी की जावे।

(ग) यह कि रहन यदि किसी खातेदार ने घोषणा से अधिक कृषि भूमि पर ले रखा है तो उसके घोषणा वाले हिस्से पर रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि जमीन वर्णित धारा 16(क) प्रतिदावा में वादी के 3/20 हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित न स्वयं करे और न ही अपने किसी एजेन्ट से करवाये, न विक्रय करे, न रहन रखे, न पेड़ काटे, न मिट्टी उठवाये, न हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करवाये, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ङ) यह कि अन्य सिद्दि जो प्रतिदावा के वादी के हक में हो किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 7 नियम 7 जाब्ता दीवानी के तहत दिलवाई जावे।

(च) यह कि खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

प्रतिदावा के प्रतिवादीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 37 को आवाज लगावाई गई कोई हाजिर नहीं आया अतः उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के अधिवक्ता ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पी0डब्ल्यू0–1 पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट हाल, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा सीट गत, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2074–77, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2021, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2025–28, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2029–32, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 219, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिशोधन पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिशोधन पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिशोधन पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी संवत 2044–2063, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2049–52, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2053–56, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2057–60, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 272, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटरलिस्ट सन 1971, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटरलिस्ट सन 1980, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटरलिस्ट सन 2004, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटरलिस्ट सन 2009, प्रमाणित प्रतिलिपि वोटरलिस्ट सन 2018, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी संवत 2044–2063, प्रमाणित प्रतिलिपि पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 247 , नकल पर्चा लगान भू–प्रबन्ध प्रर्दश 1 लगायत 26 अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

प्रतिदावा में वादी के वकील ने बहस में बताया की जमीन गत ख0न0 90 रकबा 27 बिघा 5 बिश्वा, गत ख0न0 156 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा, गत ख0न0 250 रकबा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

77 बिघा 7 बिश्वा, गत ख0न0 252 रकबा 16 बिघा 8 बिश्वा कुल किता 4 कुल रकबा 129 बीघा 10 बिश्वा वाके ग्राम बेरला स्थित है। उक्त कृषि भूमि के दौराने भू-प्रबन्ध हाल ख0न0 134 रकबा 1.92 है0, हाल ख0न0 135 रकबा 0.23 है0, हाल ख0न0 235 रकबा 0.03 है0, हाल ख0न0 236 रकबा 11.55 है0 हाल ख0न0 243 रकबा 12.14 है0, हाल ख0न0 418 रकबा 6.89 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 32.76 है0 बने है। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के खातेदार पहले प्रतिदावा के वादी व प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 के पूर्वज छैलू, हीरा, चन्दगी व गोविन्द पुत्रगण रामजस थे। उक्त छैलू, हीरा, चन्दगी व गोविन्द के अलावा एक भाई अमीलाल था। उक्त अमीलाल का देहान्त सन् 1941 में नाऔलाद फौत होने के बाद राजस्व रिकार्ड में गलत चलता रहा। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के खातेदार काश्तकार उक्त छैलू, हीरा, चन्दगी व गोविन्द बहिस्सा थे। उक्त चन्दगी अपने जीवनकाल में ही अपने भाईयों से अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को लेकर अलग हो गया और छैलू, हीरा, व गोविन्द शामील में रहते थे और तीनों का संयुक्त हिन्दू परिवार थां मितसिरा विधि से शासित था। उक्त हीरा की स्त्री श्रीमती अणची उर्फ लक्ष्मि तथा उक्त गोविन्द की स्त्री गुलाबकोर सगी बहिन थी। इस प्रकार उक्त हीरा व गोविन्द व छैलू उर्फ छैलूराम तीनों भाई अपने-अपने जीवन काल तक शामिल में रहे और अपनी जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में 3/4 हिस्सा शामिल में काश्त करते थे। उक्त छैलू उर्फ छैलूराम का देहान्त हो जाने के बाद उसका 1/4 हिस्सा उसके जीवित भाई उक्त हीरा व गोविन्द को मिला। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में उक्त हीरा व गोविन्द का 3/4 बहिस्सा पर अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे।

जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में मैं (वादी प्रतिदावा) व प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 33 के पूर्वज हीरा उर्फ हीराराम का 1/4+1/8=3/8 हिस्सा होने से प्रतिदावा के वादी का 3/40 + 3/40=3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 का 3/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 का 3/40 बहिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 31 लगायत 33 का 3/40 बहिस्सा तथा जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 के पूर्वज रूपचन्द के पिता गोविन्द का 1/4 + 1/8 = 3/8 हिस्सा होने से प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 का 3/8 हिस्सा तथा प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के पूर्वज चन्दगी का जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में 1/4 हिस्सा होने से प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20 + 1/20 = 1/10 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 का 1/20 बहिस्सा। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

8 लगायत 11 का 1/120 + 1/120 + 1/120 + 1/ 120 = 4/120 = 1/30 बहिस्सा। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 का 1/120 बहिस्सा। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 18 का 3/480 बहिस्सा। प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 का 1/480 बहिस्सा के कोटिनेन्ट(सहआसामी) है और इसी प्रकार मैं घोषणा करवाने का अधिकारी हूँ।

प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 20 के पूर्वज बृजलाल ने दौराने भू–प्रबंधन एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.1986 को अपने आप को छैलूराम का तथाकथित पुत्र बताकर छैलूराम के हिस्से की जमीन अपने नाम गलत दर्ज करवा ली जबकि उक्त छैलू उर्फ छैलूराम पुत्र रामजस ने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया। भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों व अधिकारियो को किसी को खातेदारी देने का व किसी की खातेदारी खत्म करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध के अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति ही करनी चाहिए थी। इस प्रकार भू प्रबन्ध के कर्मचारियों व अधिकारियों ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर छैलूराम का हिस्सा बृजलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया।

उक्त बृजलाल पुत्र चन्दगी ने अपने आप को छैलूराम का तथाकथित दतक पुत्र बताकर छैलूराम की सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम गलत दर्ज करवाई। उक्त छैलू उर्फ छैलूराम पुत्र रामजस ने बृजलाल को कभी गोद नहीं लिया। उक्त बृजलाल के जायन्दा पिता चन्दगी का देहान्त हुआ तब उतराधिकार में जमीन हाल ख0न0 139 रकबा 0.03 है0, जमीन हाल ख0न0 140 रकबा 0.38 है0 बतौर पुत्र बृजलाल के नामान्तरकरण दर्ज हुआ इस प्रकार उक्त बृजलाल ने अपने जायन्दा पिता चन्दगी की कृषि भूमि भी उतराधिकार में प्राप्त की है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ की वोटरलिस्ट 1971 व 1980 में बृजलाल के पिता का नाम चन्दगीराम दर्ज है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ की निर्वाचक नामावली सन् 2004 में भी बृजलाल के जायन्दा पिता का नाम चन्दगी अंकित है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ की निर्वाचक नामावली सन् 2009 में भी बृजलाल के जायन्दा पिता का नाम चन्दगी अंकित है। राजस्थान की निर्वाचक नामावली सन् 2018 की वोटर लिस्ट में भी बृजलाल के जायन्दा पिता का नाम चन्दगी अंकित। जमीन हाल ख0न0 139, जमीन हाल ख0न0 140 वाके ग्राम बेरला स्थित की खतौनी सवंत 2044 से 2063 में भी बृजलाल के पिता का नाम चन्दगी दर्ज है। भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग द्वारा पर्चा खतौनी सम्वत 2036 में भी बृजलाल के पिता का नाम चन्दगी दर्ज है।

नामान्तरकरण संख्या 247 वाके ग्राम बेरला दिनांक 24.11.1976 चन्दगी पुत्र रामजस के फौती इन्तकाल दर्ज हुआ था, जिसमें चन्दगीराम के वारिस बृजलाल,

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

भोलाराम, गोरूराम, लेखराम व हरिसिंह पुत्रगण चन्दगी दर्ज हुआ था। इस प्रकार उक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि छैलू उर्फ छैलूराम ने बृजलाल को कभी भी गोद नही लिया। बृजलाल ने अपने जायन्दा पिता चन्दगी की कृषि भूमि उतराधिकार में प्राप्त की है। उक्त बृजलाल ने सहायक भू–प्रबंध अधिकारी से मिलकर छैलूराम की कृषि भूमि को हड़पनें के लिये कुटरचित दस्तावेजात तैयार कर मेरी (प्रतिदावा का वादी) व प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 33 की कृषि भूमि को गलत तरीके से हड़पने का षड़यत्र किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त कृषि भूमि में छैलू उर्फ छैलूराम का 1/4 हिस्सा था उक्त छैलू उर्फ छैलूराम अविवाहित था और अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया। भू प्रबन्ध के दौरान बृजलाल पुत्र चन्दगीराम ने अपने आप को छैलू उर्फ छैलूराम का गलत पुत्र बताकर उसका हिस्सा अपने नाम गलत दर्ज करवाया है। सही मायने में छैलू उर्फ छैलूराम के विधिक वारिस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के मुताबिक अनुसुची के वर्ग 2 के सिड्रल द्वितीय के मुताबिक जीवित भाई हीरा उर्फ हीराराम व गोविन्द हुए। उक्त छैलू उर्फ छैलूराम निरवसीयती फौत हुआ है। इस प्रकार छैलू उर्फ छैलूराम का 1/4 हिस्सा हीरा व गोविन्द को मिलने पर उनका हिस्सा 3/4 बहिस्सा हुआ। दस्तावेजात का अवलोकन करने से बृजलाल का पिता चन्दगी ही है तथा चन्दगी के फौत होने पर फौती नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 24.11.1976 के अवलोकन से भी यह साबित है कि चन्दगी के हिस्से की कृषि भूमि बृजलाल ने अपने सगे भाईयों के साथ प्राप्त की है। जिससे भी साफ जाहिर है कि बृजलाल कभी भी छैलू उर्फ छैलूराम के गोद नही गया। इस प्रकार उक्त दावा में प्रदर्शीत दस्तावेजात से यह साबित होता है कि बृजलाल पुत्र चन्दगीराम ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से मिलकर छैलू उर्फ छैलूराम की कृषि भूमि को हड़पने के लिए गलत दस्तावेजात तैयार कर उक्त हीरा उर्फ हीराराम व गोविन्द व उनके वारिसों प्रतिदावा के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 33 की हिस्से की कृषि भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवाई है तथा भू प्रबन्ध विभाग को कानून से खातेदारी खत्म करने व देने का भी क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार छैलू उर्फ छैलूराम के सही कानूनी वारिस हीरा उर्फ हीराराम व गोविन्द थे। इस प्रकार हीरा उर्फ हीराराम व गोविन्द के दैहान्त होने पर उनका हिस्सा उनके विधिक वारीसो को मिला। इस कारण न्यायालय प्रतिदावा के वादी के प्रतिदावा के तथ्यों व दस्तावेजात से सहमत होने से न्यायालय प्रतिदावा के वादी का प्रतिदावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:– 154ए/2021
गोरूराम वगै0 बनाम बृजलाल वगै0
निर्णय दिनांक:– 18-10-2023

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 1.92 है0, हाल ख0न0 135 रकबा 0.23 है0, हाल ख0न0 235 रकबा 0.03 है0, हाल ख0न0 236 रकबा 11.55 है0, हाल ख0न0 243 रकबा 12.14 है0, हाल ख0न0 418 रकबा 6.89 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 32.76 है0 वाके ग्राम बेरला तहत तहसील सूरजगढ़ में प्रतिदावा के वादी का 3/20 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20+1/20=1/10 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 का 1/20 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 का 1/120+1/120+1/120+1/ 120 = 4/120 = 1/30 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 का 1/120 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 18 का 3/480 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 का 1/480 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 का 3/8 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 26 का 3/40 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 का 3/40 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 31 लगायत 33 का 3/40 बहिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 18-10-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 154ए/2021
गोरूराम वगै0 बनाम बृजलाल वगै0
निर्णय दिनांक:– 18-10-2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

…ासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

…स्व वाद सं.– 154ए/2021

…र्णय दिनांक :–

गोरूराम वगै0 **बनाम** ब्रजलाल वगै0

दावा बाबत खाता बंटवारा एवं घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा

प्रतिदाव वादी की ओर से **श्री सन्दीप मान एड0** उपस्थिती में इस वाद में आज …रीख 18-10-2023 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम …टारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि हाल …सरा नम्बर 134 रकबा 1.92 है0, हाल ख0न0 135 रकबा 0.23 है0, हाल ख0न0 235 रकबा …03 है0, हाल ख0न0 236 रकबा 11.55 है0, हाल ख0न0 243 रकबा 12.14 है0, हाल …0न0 418 रकबा 6.89 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 32.76 है0 वाके ग्राम बेरला तहत …हसील सूरजगढ़ में प्रतिदावा के वादी का 3/20 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 1 का …/20+1/20=1/10 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा प्रतिदावा के …तिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 का 1/20 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 8 …गायत 11 का 1/120+1/120+1/120+1/ 120 = 4/120 = 1/30 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 का 1/120 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 18 का 3/480 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 का 1/480 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 का 3/8 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादी संख्या 26 का 3/40 हिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 का 3/40 बहिस्सा, प्रतिदावा के प्रतिवादीगण संख्या 31 लगायत 33 का 3/40 बहिस्सा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़